/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।

पत्रांक-बी0एस0डी0एम0/स्था0-12/2016- 87 **पटना, दिनांक-** 08/2/2017

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

अनौपचारिक रूप से वित विभाग द्वारा परामर्शित

विषयः- राज्य के 38 जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के भवनादि के निर्माण हेतु पुनरीक्षिति प्राक्कलन रू0 28,57,800/- (अठ्ठाईस लाख सतावन हजार आठ सौ) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र की दर से कुल रू0-152,60,65,200/- (एक सौ बावन करोड़ साठ लाख पैसठ हजार दो सौ) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय के अन्तर्गत 38 जिलों के सभी 534 प्रखण्डों के शिक्षित युवाओं को संवाद कला एवं कम्प्यूटर का मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक-एक कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु भवन निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं की क्षमता को रोजगारोपरक बनाये जाने का उद्देश्य है।

पूर्व में मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमानित प्राक्कलन रू0-21,13,243/- प्रति कौशल विकास केन्द्र स्वीकृति के आलोक में सभी प्रखण्डों में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पूर्व के प्राक्कलन में फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन कॉलप्सिबुल ग्रील गेट एवं पी0सी0सी0 एप्रोच पथ आदि का निर्माण कार्य शामिल नहीं था। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए इन कार्यों को पूर्व में निर्धारित कार्य में समाहित किया गया, जिसके कारण प्राक्कलन में बढ़ोतरी हुई है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड से प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन रू0-28,57,800/- प्रति कौशल विकास केन्द्र निर्माण कार्य पर दिनांक-17.01.2017 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में सभी 534 प्रखण्डों में रू0 28,57,800/- (अठ्ठाईस लाख सतावन हजार आठ सौ) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र की दर से कुल रू0-152,60,65,200/- का पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

2- इस प्रकार राज्य के 38 जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के भवनादि के निर्माण उत्तर बिहार के जिलों में बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम एवं दक्षिण बिहार में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा पुनरीक्षिति प्राक्कलन रू0 28,57,800/- (अठ्ठाईस लाख सतावन हजार आठ सौ) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र की दर से किया जायेगा।

3- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण, मॉग संख्या-26, विपत्र कोड-पी 4250000510101 के तहत उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत व्यय सीमित रखा जाएगा।